न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2021

अनवान :

1. रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:–वादी

बनाम

1.खिराज पुत्र खमानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा। मृतक।
1/1. कौशल्या पत्नी खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
1/2.कुलदीप पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
1/3.शकुन्तला पुत्री खिराज जाति जाट निवासी रासलाना हाल पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी हाल बोझला तहसील भादरा।
1/4.सुरेन्द्र कुमार पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

वकील श्री श्रवण सहारण: **प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4**

निर्णय **दिनांकः** 10.06.2025

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 75/65 के खसरा संख्या 150 की 4.5910 है0, खसरा संख्या 154 की 11.5410 है0 कुल 15.7320 है0 बारानी वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किस्म, कास्त, बंटाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का मुताबिक वाहमी बंटवारा के हिसाब से जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील हाजिर आये प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया। वकील वादी ने जवाबमल जवाब पेश किया। तनकी कायम की गई। साक्ष्यवादी में रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। साक्ष्य [illegible] रासलाना के खाता संख्या 75/65 प्रदर्श 1, सत्य प्रतिलिपि नक्शा प्रति खसरा [illegible] 154 प्रदर्श 2, असल बंटवारानामा आपसी घरू प्रदर्श 3, मुताबिक [illegible] 4 प्रदर्शित करवाये गये। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादी ने अच्छी मंदी के [illegible] खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने पर अपनी सहमती दी व प्राथमिक डिक्री कि[illegible]ने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे है। उसी अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा रासलाना के खाता संख्या 5/65 के खसरा संख्या 150 की 4.5910 है0, खसरा संख्या 154 की 11.5410 है0 कुल 15.320 है0 बारानी वादभूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/282 दिनांक 23.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ।

वकील प्रतिवादी ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की आपत्ति पर उभय पक्ष को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव व दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रतिवादी की प्राथमिक आपत्ति यह है कि विभाजन प्रस्ताव में कब्जाशुदा 3 विघा रास्ता दर्शाया है जबकि उक्त रास्ता कभी भी चालु नही था न ही वर्तमान में चालु है। प्रतिवादी ने अपनी आप्पति के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है ना ही ऐसी कोई फोटो पेश की है ना ही खसरा सं0 154/2 में रास्ता का कोई अंकन किया जा रहा है तथा प्रतिवादी की यह भी आप्पति है कि खसरों में जमीन का विभाजन किया जाना कानूनी रूप से उचित नही है लेकिन अपनी आप्पति के संबंध में ऐसा कोई कानुन पेश नही किया है जिससे खसरो में कृषि भूमि का विभाजन ना किया जा सकता हो तथा वादी की अन्य आपपति यह है कि सिंचित असिंचित से संबंधित है मुताबिक जमाबंदी वादग्रस्त आराजी की किस्म बारानी दर्ज है। प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसी आप्पति पेश नही कि गई है जो जिससे यह साबित होता हो कि राजस्व मण्डल के निमयो की अवहेलना में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस कारण आप्पति कर्ता की उक्त आपत्तिया पोषणीय नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का आपत्ति प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद भूमि पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

<u>विभाजन : रोही मौजा रासलाना</u>

रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन पी0एन0बी0 शाखा भादरा :– रोही मौजा रासलाना खसरा संख्या 150/2 रकबा 2.2955 है0 बारानी तथा खसरा संख्या 154/2 रकबा 5.5705 है0 बारानी कुल किता 2 कुल रकबा 7.866 है0 बारानी।

कौशल्या पत्नी खिराज, सुरेन्द्र कुमार, कुलदीप पि0 खिराज, शकुन्तला पुत्री खिराज जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन सुरेन्द्र हिस्सा एस0बी0आई0 शाखा ए0सी0जे0एम0 कोर्ट भादरा:– रोही मौजा रासलाना खसरा संख्या 150/1 रकबा 2.2955 बारानी तथा खसरा संख्या 154/1 रकबा 5.5705 है0 बारानी। कुल किता 2 कुल रकबा 7.866 है0 बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 122/2021

नवान :

1. रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1.खिराज पुत्र खमानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा। मृतक।
1/1. कौशल्या पत्नी खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
1/2.कुलदीप पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
1/3.शकुन्तला पुत्री खिराज जाति जाट निवासी रासलाना हाल पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी हाल बोझला तहसील भादरा।
1/4.सुरेन्द्र कुमार पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पवन सिहाग व प्रतिवादी वकील श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी पक्षकारान के हिस्सा में निम्नानुसार रहेगी।

<u>विभाजन : रोही मौजा रासलाना</u>
रामरतन पुत्र चुनीलाल जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन पी0एन0बी0 शाखा भादरा :— रोही मौजा रासलाना खसरा संख्या 150/2 रकबा 2.2955 है0 बारानी तथा खसरा संख्या 154/2 रकबा 5.5705 है0 बारानी कुल किता 2 कुल रकबा 7.866 है0 बारानी।
कौशल्या पत्नी खिराज, सुरेन्द्र कुमार, कुलदीप पि0 खिराज, शकुन्तला पुत्री खिराज जाति जाट साकिन देह खातेदार रहन सुरेन्द्र हिस्सा एस0बी0आई0 शाखा ए0सी0जे0एम0 कोर्ट भादरा:— रोही मौजा रासलाना खसरा संख्या 150/1 रकबा 2.2955 बारानी तथा खसरा संख्या 154/1 रकबा 5.5705 है0 बारानी। कुल किता 2 कुल रकबा 7.866 है0 बारानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:40 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा, हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner